

15/11/22

पत्रावली पेश। पूर्वके आव प्रार्थी की मूल दवा
पत्रावली अदम हावरी। अदम पैरवी में खारिज
की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस प्रा.पत्र
पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है।
अतः इस प्रा.पत्र को भी अदम हावरी/अदम
पैरवी में खारिज कर कार्यवाही दाय की जाती
है पूर्व में दिनांक 15/04/2019 को जारी अंतरिम
खगन आदेश निरस्त किया जा चुका है। पत्रावली
केवल शुभारंभ होकर नम्बर से कम ही बढ़
सकती है। अतः मूल दवा पत्रावली रहे। सुभा
गया।



